

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 22/2026

Jaipur Development Authority

----Appellant

Versus

Sandhya Agarwal D/o Sh. Sanwar Mal Agarwal

----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Darsh Pareek, Adv.
For Respondent(s)	: Ms. Priyanshi Katta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/03/2026

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र संख्या 28/26 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों एवं आधारों को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने में हुए 11 दिन के विलम्ब को माफ किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को शेष त्रुटियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा निकाली गयी त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है तो यह अपील इस न्यायालय को संदर्भित किये बिना स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

(UMA SHANKER VYAS),J